संख्या:-15/2022/43आ0/23-5-22-10(भवन)/2018टीसी

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2022**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर, श्रावस्ती व एटा के 03 निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1234बीजीबी/341बीजीबी/कर्म0अधि0आवास/उप0प्र0-पत्र(चा0कार्य)/21-22, दिनांक 15.03.2022 एवं सं0-1253बीजीबी/341बीजीबी/कर्म0अधि0 आवास/उप0प्र0-पत्र(चा0कार्य)/21-22, दिनांक 23.03.2022 तथा सं0-1276बीजीबी/341बीजीबी /कर्म0अधि0आवास/उप0प्र0-पत्र(चा0कार्य)/21-22, दिनांक 25.03.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु स्तम्भ-6 में अंकित अवशेष धनराशि के सापेक्ष **रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	86/2020/146आ0/23-5-20-10(भवन)/2020टीसी, दिनांक 11.12.2020	बलरामपुर में लो0नि0वि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय भवनों हेतु टाइप-4 के 06 आवास (भूतल-2, प्रथम तल-2 एवं द्वितीय तल-2) टाइप-3 के 12 आवास (भूतल-4, प्रथम तल-4 एवं द्वितीय तल-4) व टाइप-2 के 12 आवास (भूतल-4, प्रथम तल-4 एवं द्वितीय तल-4) का निर्माण कार्य।	579.39	05.00	574.39	75.00
2	12/2020/195आ0/23-5-19-10(भवन)/2018टीसी, दिनांक 24.02.2020 **एवं** 47/2020/194आ0/23-5-20-10(भवन)/2018टीसी, दिनांक 03.09.2020 **एवं** 32/2021/44आ0/23-5-21-10(भवन)/2018टीसी, दिनांक 19.02.2021 **एवं** 84/2021/177आ0/23-5-21-10(भवन)/2018टीसी, दिनांक 04.08.2021	श्रावस्ती में लो0नि0वि0 हेतु टाइप-4 के 12 आवासों (02 ब्लॉक) का निर्माण कार्य।	617.96	503.56	114.40	50.00
3	44/2021/40आ0/23-5-21-02(भवन)/2021, दिनांक 18.03.2021	एटा में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु टाइप-3 के नये आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	102.57	27.84	74.73	25.00
		योग :-				**150.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-05-निर्माण-अन्य-0539-कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेशों की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-15/2022/43आ0(1)/23-5-2022तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी बलरामपुर, श्रावस्ती व एटा।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र व अलीगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, बहराईच-श्रावस्ती वृत्तव अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0।
11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, श्रावस्ती।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा।
14- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।